If a Departmental Confirmation Committee exists, v	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.			
(12)	(12)			
Group 'B' Departmental Confirmation Comm mation of ex-Servicemen on re-employment consi	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while			
Additional Director, ISTM	-Chairman	selecting Armed Forces Personnel for Re-employment.		
2. Deputy Director (Administration), ISTM	-Member			
3. Deputy Director from faculty, ISTM	-Member			
4. Section Officer, ISTM	-Member			

[F.No. A-12034/1/2011-ISTM] SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

- सा.का.िन. 92.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औद्योगिक नीित और संवर्धन विभाग(आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीित और संवर्धन विभाग में आर्थिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडें वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती
			में स्तर	अचयन पद	जाने वाले	किए जाने
					व्यक्तियों के	वाले व्यक्तियों
					लिए आयु-सीमा	के लिए
					_	अपेक्षित
						शैक्षिक और
						अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आर्थिक	3*	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अधिकारी	(2017)	केन्द्रीय सेवा,	स्तर—7	होता	होता	होता
	, ,	समूह 'ख',	रु. 44900-			
	* कार्यभार के	राजपत्रित,	142400/-			
	आधार पर	अननुसचिवीय				
	परिवर्तन	_				
	किया जा					
	सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता	(10) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	समिति है, तो उसकी	लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
किया जाएगा	संरचना	
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /	लागू नहीं होता।	जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर
आमेलन द्वारा		नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या		है तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या		करना आवश्यक है।
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या		
स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार		
पर सदृश पद धारण किए हुआ है ; या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में		
स्तर—6 (रु 35400-112400/- या समतुल्य) के		
वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति		
के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और		
ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-		

आवश्यक: -

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र,व्यवसाय अर्थशास्त्र या इकनोमेट्रिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री, या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य में, जिसमें एक पेपर कम से कम अर्थशास्त्र का हो, स्नातकोत्तर डिग्री।

वांछनीय:-

अनुसंधान, अन्वेषण, संग्रहण, संकलन, निर्वचन और सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: आमेलन के आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी पात्र होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा.सं ए-12018/1/2007-ई-I] दयानिधि जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 7th March, 2017

- **G.S.R. 92.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Officer) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Economic Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely:-
- **1. Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Officer) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.—The number of the posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Economic	3* (2017)	General Central	Level 7 in the pay	Not applicable	Not applicable
Officer.		Service, Group	matrix		
	* Subject to	'B' Gazetted,	Rs. 44900-		
	variation	Non-Ministerial.	142400/		
	dependent on workload.				

Educational and other	Whether age and	Period of probation, if any	Method of recruitment,
qualifications required for	educational qualification		whether by direct
direct recruits	prescribed for direct recruits		recruitment or by promotion
	will apply in the case of		or by deputation or
	promotes		absorption and percentage
			of posts to be filled by
			various methods
(7) (8)		(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including
			short-term
			contract)/absorption

In the case of recruitment by promotion or deputation or	If a Departmental	Circumstances in which
absorption, grades from which promotion or deputation or	Promotion Committee	Union Public Service
absorption to be made	exists, what is its	Commission is to be
	composition	consulted in making
	^	recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ Absorption :	Not applicable	Consultation with the Union
Officers of the Central Government or State Governments or		Public Service Commission
Union territories or public sector undertaking or recognised		necessary when an officer is
research institutions or Universities or semi-Government or		appointed on absorption
statutory or autonomous organisation.		basis.
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent		
cadre or department; or		
,		
(ii) with five years' service in the grade rendered after		
appointment thereto on a regular basis in post in level 6 in the		
pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent		
cadre or department; and		
caute of department, and	l	

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

Post Graduate degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognised University; or

Post Graduate Degree in Mathematics or Statistics or Commerce with one paper in Economics from a recognised University;

Desirable:

Two years experience in the field of research, investigation, collection, compilation, interpretation and analysis of statistical data

Note1: Only Officers of the Central Government or State Governments or Union territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.

Note2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A-12018/1/2007-E-I] DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

सा.का.िन. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती, नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द, जहां भी वे विद्यमान हों, दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (4) के अधीन,-
 - (i) शीर्षक "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर शीर्षक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;